ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-132/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून (Audit Unit), कृषि एवं भूमि अधिकारी रायपुर (implementing Unit) एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता, कालसी (implementing Unit)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कृषि एवं भूमि अधिकारी रायपुर (implementing Unit) एवं कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी चकराता, कालसी (implementing Unit) के माह 08/2017 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानु प्रताप सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस एस राणा, एवं श्री द्वारा दिनांक 16/01/2021 से 06/02/2021 तक श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस एस दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक एवं श्री जितेंद्र चमोली, लेखापरिक्षक द्वारा दिनांक 19/08/2017, 14/10/2017 से 04/11/2017 तथा 12/11/2017 तक श्री वी एस पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 09/2015 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संचालन एवं अनुश्रवन करना। इकाई का अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद देहारादून है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18		0.00	278.97	278.97	726.16	679.98		46.17
2018-19		46.17	291.55	291.55	1367.95	1389.91		24.20
2019-20		24.20	22.23	328.28	1683.17	1593.29		114.07
2020-21(12/2020)		114.07	19.06	261.14	1438.91	1529.50		23.48

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान आवंटन	कुल धनराशि	व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
2017–18	RKVY	0.00	18.23	18.23	18.23		
	NFSM	0.00	23.92	23.92	15.95		7.97
	NMSA RAD	0.00					0.00
	NMSA SHC	0.00	10.29	10.29	8.81		1.48
	NMSA SHM	0.00					0.00
	PKVY	0.00	81.66	81.66	14.39		67.27
	SMAM	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	PMKSY	15.18	0.50	15.68	12.11		3.57
2018–19	RKVY	0.00	79.92	79.92	37.43		42.49
	NFSM	7.97	5.50	13.47	5.43		8.04
	NMSA RAD	0.00	0.20	0.20	0.20		0.00
	NMSA SHC	1.48	19.79	21.27	16.19		5.08
	NMSA SHM	0.00	2.20	2.20	1.50		0.70
	PKVY	67.27	118.88	186.15	186.15		0.00
	ATMA CHEME	0.00	64.64	64.64	32.42		32.22
	SMAM	0.00	3.00	3.00	3.00		0.00
	PMKSY	3.57		3.57			3.57
2019–20	RKVY	42.49	67.83	110.32	71.82		38.50
	NFSM	8.04	6.00	14.04	6.00		8.04
	NMSA RAD	0.00	3.65	3.65	3.65		0.00
	NMSA SHC	5.08	12.14	17.22	15.74		1.48
	NMSA SHM	0.70		0.70	0.70		0.00
	PKVY	0.00	250.65	250.65	213.15		37.50
	ATMA CHEME	32.22	41.07	73.29	73.29		0.00
	SMAM	0.00	0.50	0.50	0.50		0.00
	PMKSY	0.00		0			0.00
2020–21(till Dec 2020)	RKVY	38.50	78.16	116.66	51.56		65.10
	NFSM	8.04	7.70	15.74	1.50		14.24
	NMSA RAD	0.00	0.85	0.85	0.85		0.00
	NMSA SHC	1.48	9.50	10.98	4.20		6.78
	NMSA SHM	0.00	1.06	1.06	1.06		0.00
	PKVY	37.50	144.00	181.50	105.00		76.50
	ATMA SCHEME	0.00	67.32	67.32	67.32		0.00
	SMAM	0.00	2.00	2.00	2.00		0.00
	PMKSY	0.00	0.10	0.10			0.10

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"स"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-निदेशक-अपर कृषि निदेशक-संयुक्त कृषि निदेशक-कृषि एवं मुख्य कृषि अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में माह 08/2017 से 12/2020 तक किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अधिक व्यय वाले माह तथा अधिक व्यय वाले पूर्ण किए गए कार्यो को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2019 एवं 05/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो "ब"</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> योजना पर ₹ 52.06 लाख व्यय होने के बावजूद भी उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत संचालित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की एक सब-योजना है जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान एवं विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के टिकाऊँ माडल का विकास करना है जिससे दीर्घकालिक मृदा उर्वरता निर्माण संसाधन सरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में मदद मिल सके। यह मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है और इस तरह कृषि-रसायनो के उपयोग के बिना जैविक कार्यों के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करता है। पीकेवीवाई का उद्देश्य कृषि पद्धतियों के माध्यम से न केवल कृषि पद्धतियों प्रबंधन इनपुट उत्पादन, गुणवत्ता आवश्वासन बल्कि नवीन साधनों के माध्यम से मूल्य सवर्धन और प्रत्यक्ष विपणन में भी संस्थागत विकास के माध्यम से किसानो को सशक्त बनाना था ।

एक सब-कम्पोनेंट योजना है। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहाहै जो कि 90 प्रतिशत केंद्रान्श एवं 10 प्रतिशत राज्यान्श पर आधारित है।

उक्त योजना के अनुसार निदेशालय के पत्र संख्या 1551, दिनांक 02.06.2016 के द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर को परंपरागत कृषि विकास योजना 2016-17 में तीन वर्ष की कार्य योजना तैयार की गयी थी जिसमे जैविक कृषि क्लस्टर बनाए जाने थे जिनको विभिन्न माध्यमों से लाभार्थियों को सतत जैविक कृषि की तरफ ले जाना था। जिस हेतु कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर द्वारा तीन क्लस्टरों (भोपाल पानी क्लस्टर, गड़ूल प्रथम, गड़ूल द्वितीय) तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कालसी द्वारा पाँच क्लस्टरों (मिंडाल, मझगाव, जोगियो, अष्टाड, नराया) का चयन किया गया था।

जिनमे किसानों को निम्न प्रमुख सहायता प्रदान की जानी थी :-

1. जैविक कृषि क्लस्टर बनाने हेतु कृषक गोष्ठी का आयोजन किया जाना था।
2. जैविक कृषि क्षेत्रो का भ्रमण किया जाना था ।
3. क्लस्टर गठन एवं लीड रेसोर्स पर्सन का चयन ।
4. जैविक खेती पर कृषको को तीन प्रशिक्षण दिया जाना था ।
5. सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पीजीएस) पर भी दो दिनो का प्रशिक्षण दिया जाना था।
6. लीड रेसोर्स पर्सन का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना था ।
7. तरल जैव उर्वरक का वितरण किया जाना।
8. तरल बायोपेस्टिसाइड की व्यवस्था किया जाना।
9. प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था किया जाना।
10. फारेस्ट जैव खाद की व्यवस्था किया जाना।
11. वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना किया जाना।
12. जैविक उत्पाद के प्रोसेसिंग/ग्रेडिंग/ क्लीनिंग/ थ्रेसिंग एवं खेत की तैयारी हेतु कृषि यंत्रों के प्रयोग हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर के व्यय के भुगतान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी ।
13. जैविक उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग और होलोग्राम का उपयोग किया जाना था।

14. जैविक उत्पादों हेतु परिवहन सहायता प्रदान की जानी थी ।
15. जैविक मेले का आयोजन किया जाना था।

उक्त क्रियाकलापों के माध्यम से क्लस्टर को इस स्तर से मजबूती प्रदान किया जाना था कि वो तीन वर्षो के उपरांत वो स्वयं से जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो जाए। साथ ही योजना के तीन वर्ष पूर्ण होने पर योजना के प्रभाविकता का मूल्यांकन भी किया जाना था।

इकाई द्वारा उक्त योजना पर तीन वर्षों में क्रमशः भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर (2017-20) ₹ 23.03 लाख तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कालसी द्वारा उक्त योजना पर तीन वर्षों में (2017-20) ₹ 29.57 लाख कुल ₹ 52.06 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। योजना में तीन वर्षों तक क्लस्टरों को सहायता प्रदान की जानी थी। तदोपरांत किसानों को स्वयं से जैविक खेती करनी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना से संबन्धित लेखा अभिलखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त तीनों क्लस्टरों का तीन वर्ष पूर्ण हो गया ।इकाई के पास ऐसा कोई तंत्र विददमान नही था जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ये क्लस्टर वर्तमान में जैविक कृषि कर रहे थे अथवा नही। साथ ही इकाई द्वारा थर्ड पार्टी से प्रभाविकता की जांच भी नही की गयी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्लस्टर द्वारा जैविक खेती को भविष्य में न किए जाने के क्या कारण रहे। क्योकि यदि क्लस्टर वर्तमान में जैविक खेती नही कर रहे तो योजना के उद्देश्य की पूर्ति नही हो पायी और योजना पर किया गया ₹ 52.06 लाख का व्यय भी निरर्थक रहा।साथ ही कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कालसी द्वारा पीकेवीवाई प्रथम की ₹ 64049 की धनराशि अवशेष थी जबकि पीकेवीवाई प्रथम पूर्ण हो चुकी है उक्त धनराशि का वर्तमान तक समायोजन क्यों नही किया गया था जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्पूर्ण धनराशि का प्रेषित कर दिया गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर से उक्त योजना हेतु तीन वर्ष का बजट प्राप्त था और योजना तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक चलाई गयी।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही था क्योकि योजना का उद्देश्य यह था की किसानो को इस तरह से प्रशिक्षण एवं जागरूक किया जाये जिससे वे योजना की समाप्ती के उपरांत स्वयं से जैविक खेती करने लगें।

अतः इकाइयों द्वारा उचित ढंग से क्लस्टरों को प्रशिक्षित एवं जागरूक न किए जाने के कारण ₹ 52.06 लाख का व्यय होने के बावजूद भी योजना का उद्देश्य पूर्ण न होने एवं त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> नियोजन (Planning) में कमी के कारण रु 21.62 लाख का अनौचित्यपूर्ण व्यय।

राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत केंद्र पुरोनिधानित योजना "कृषि यंत्रीकरण सब मिशन" (एसएमएएम) की गाइडलाइन के तहत कृषि यंत्रों पर, 50 प्रतिशत या एक निर्धारित राशि जो कम हो, अनुदान दिया जाना था। गाइडलाइन के अनुसार इस योजना के अंतर्गत व्यय धनराशि में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की और 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की शामिल होती है।

और राज्य सरकार के शासनादेश (24 मार्च, 2015) के अनुसार वर्ष 2019-20 तक देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाना था। जिसके अंतर्गत SMAM के अंतर्गत प्राविधानित अनुदान के साथ राज्य सरकार की योजनाओ यथा- राज्य योजना एवं जिला योजना,से मैचिंग ग्रांट अर्थात 30 प्रतिशत और अनुदान देते हुए 80 प्रतिशत तक दिया जाना था।

इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 की स्वीकृत जिला योजना के अंतर्गत 03 रीपर बाईंडर पर (लागत प्रति नग- रु 510000.00, अनुदान प्रति नग- रु 408000.00) 80प्रतिशत की दर से रु 12.24 लाख का अनुदान दिया गया और इसी प्रकार 03 लेजर एण्ड लेवलर पर (लागत प्रति नग- रु 392000.00, अनुदान प्रति नग- रु 313600.00)80 प्रतिशत की दर से रु 9.38 लाख का अनुदान दिया गया था। इस प्रकार कुल रु 21.62 लाख का अनुदान दिया गया। जबकि एसएमएएम की गाइडलाइन के अनुसार रीपर बाईंडर पर 50 प्रतिशत या रु 1.50 लाख, जो कम हो, तथा लेजर एण्ड लेवलर पर 50 प्रतिशत या रु 2.00 लाख, जो कम हो, दिया जाना था।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि वर्ष 2019-20 मे एसएमएएम के अंतर्गत आवंटित कुल धनराशि रु 687.94 लाख के सापेक्ष रु 605.56 लाख ही व्यय किये जा सके थे और रु 41.48 लाख की धनराशि के समर्पण के बाद रु 40.90 लाख की धनराशि अवशेष थी। इस प्रकार पाया गया कि एसएमएएम योजना की धनराशि, जिसके अंतर्गत 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होती है, को अवशेष रखा गया था जबकि जिला योजना की धनराशि, जिसके अंतर्गत 100 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की होती है, को व्यय किया गया था और कृषि यंत्रो पर 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्राविधान किया गया था। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश के अनुसार कृषि यंत्रो पर एसएमएएम योजना के तहत दिये गये 50 प्रतिशत अनुदान के साथ 30 प्रतिशत की मैचिंग ग्रांट के सहित 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जा सकता था। और जिला योजना से 80 प्रतिशत अनुदान से लाभान्वित छः लाभार्थियों के बजाय मैचिंग ग्रांट के द्वारा ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि उक्त कृषि यंत्रो के उपयोगी होने के कारण व कृषि मे श्रमिकों की कमी को पूर्ण करने हेतु और जन सामान्य मे प्रचलित करने हेतु प्रोत्साहन के तौर पर 80 प्रतिशत की राज्य सहायता जिला नियोजन समिति के अनुमोदन के उपरांत उपलब्ध करायी गयी। इकाई का उत्तर असंतोष-जनक है क्योंकि एसएमएएम गाइडलाइन एवं उक्त शासनादेश के संबंध में नियोजन से भी 80 प्रतिशत की सहायता से कृषकों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जा सकता था।

अतः नियोजन (Planning) में कमी के कारण रु 21.62 लाख का अनौचित्यपूर्ण व्यय का प्रकरण उच्च-अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:03-</u> वर्मी कम्पोस्ट बेड की खरीद पर रु 14.58 लाख का अलाभकारी व्यय।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की गाइडलाइन/कार्य-योजना के अनुसार कृषकों को परंपरागत कृषि की ओर प्रेरित करने के लिये अन्य कंपोनेंट के साथ-साथ रु 5000.00 प्रति यूनिट से वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना की जानी थी। इसके अंतर्गत कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना एवं संचालन हेतु केचुए का क्रय, श्रमिक व्यय व अन्य सामाग्री हेतु रु 5000.00 की वित्तीय सहायता दी जानी थी। इस व्यवस्था के तहत पूर्व में कृषक द्वारा पिट के निर्माण कर दिये जाने के बाद कृषक को रु 4500.00 की वित्तीय सहायता एवं रु 500.00 में रु 250.00 की दर से 02 किलो केचुए उपलब्ध कराया गया था।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि वर्मी पिट के स्थान पर वर्मी बेड ज्यादा उपयोगी होने के कारण निदेशालय स्तर से दर अनुबंध फ़र्म से रु 47.55 लाख के 1024 वर्मी बेड खरीदे गये थे (अक्तूबर-2019 से अगस्त-2020 के दौरान) जिन्हे विकासखंडों की न्याय पंचायतों तक पहुचाया एवं किसानो को वितरित किया गया था। पीकेवीवाई के अंतर्गत निम्न बिलों से एवं निम्न न्याय पंचायतों तक वर्मी बेड पहुचाए एवं किसानो को वितरित किये गये थे:

तालिका-1

बिल सं0	**दिनांक**	**वर्मीबेड सं0**	**धनराशि (रु)**	**F.O.R.**
097	09/10/19	70	325031.00	श्यामपुर, डोईवाला
098	"" ""	60	278598.00	भानियावाला,डोईवाला
120	14/10/19	50	232165.00	झझरा, कारबरी ग्रांट
078	28/09/19	50	232165.00	रंगेऊ, चकराता
077	"" ""	50	232165.00	कोण्डेयबोंदर, चकराता
079	"" ""	50	232165.00	दसौ, चकराता
080	"" ""	50	232165.00	बिरनाड़, चकराता
081	"" ""	30	139299.00	बेगी, चकराता
086	29/09/19	161	747571.30	डगूरा, कलसी
085	"" ""	34	157872.20	उत्पाल्टा, कालसी
084	"" ""	50	232165.00	कोरवा, कालसी
087	"" ""	25	116082.50	मुनहान, कालसी
096	08/10/19	70	325031.00	रायपुर, रायपुर
D106	23/06/20	60	278598.00	डोईवाला, डोईवाला
D104	22/06/20	96	445756.80	सहसपुर, सहसपुर
D86	21/06/20	54	250738.00	रायपुर, रायपुर
D175	23/08/20	64	297171.20	चकराता, चकराता
योग		**1024**	**4754739.00**	

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्मी बेड से जैविक खाद बनाने का उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब केचुओं को किसानो को वितरित किया गया होता। परंतु इकाइयों द्वारा लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया कि केचुए वितरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और योजना से वर्मी बेड खरीदे जाने का पूर्ण लाभ कृषको को मिल रहा है।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि जिला योजना के अंतर्गत भी स्वीकृत लक्ष्यों के तहत उक्त फ़र्म से ही निम्न बिलों के माध्यम से रु 31.57 लाख की धनराशि से 680 वर्मी बेड की खरीद की गयी (सितंबर-19 से फरवरी-20 के दौरान) और निम्न न्याय पंचायतों तक वर्मी बेड पहुचाए एवं किसानो को वितरित किये गये थे:

तालिका-2

बिल सं0	**दिनांक**	**वर्मी बेड सं0**	**धनराशि (रु)**	**F.O.R.**
D75	17/02/20	49	227521.70	चकराता, चकराता
D74	“” “”	01	4643.30	“” “”
122	14/10/19	100	464330.00	सोरना
099	09/10/19	56	260024.80	Mindwak
121	14/10/19	100	464330.00	Bhauwala
074	28/09/19	55	255382.00	Rangeu
095	08/10/19	200	928660.00	Raipur
075	28/09/19	30	139299.00	बेगी, चकराता
076	“”” “””	30	139299.00	मिंडाल, चकराता
088	29/09/19	28	130012.40	खादी, कालसी
089	“”” “””	31	143942.30	उत्पाल्टा, कालसी
योग		**680**	**3157444.50**	

आगे अभिलेखों में पाया गया कि किसानों द्वारा इन पिट में जैविक खाद बनाये जाने हेतु कृषको को केचुए वितरित किये जाने के लिए जिला योजना के अंतर्गत धनराशि का प्राविधान ही नहीं किया गया था। और इसप्रकार केचुए वितरण का प्राविधान न किये जाने एवं वितरित न किये जाने के कारण वर्मी बेड की खरीद पर किया गया व्यय अलाभ-कारी रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि चूंकि जिला योजना के अंतर्गत आपूर्तित वर्मी बेड पीकेवीवाई योजना के चयनित लाभार्थियों को ही उपलब्ध कराये गए हैं तथा पीकेवीवाई योजना मे स्थापित वर्मी पिट/बेड मे केचुओं की आपूर्ति पूर्व में की जा चुकी है। वर्मी कंपोस्टिंग हेतु प्रयुक्त केचुए उच्च गुणवत्ता के होते हैं तथा इनकी प्रजनन क्षमता द्रुत होती है। अतः पूर्व स्थापित पिटो से ही केचुओं की आपूर्ति कृषकों तक की जाती है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य है परंतु लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों के मिलान में पाया गया कि **तालिका-1** की जिन न्याय पंचायतों में पीकेवीवाई के अंतर्गत वर्मी बेड आपूर्तित किये गये थे, उनमें से पाँच न्याय पंचायतों पर ही (**तालिका-2** के अनुसार) जिला योजना के अंतर्गत वर्मी बेड आपूर्तित किये गये जबकि **तालिका-2** की शेष पाँच न्याय पंचायतें पीकेवीवाई से आपूर्तित वर्मी बेड की न्याय पंचायतों से इतर है। इस प्रकार इन न्याय पचायतों पर कृषको को उपलब्ध कराये गये वर्मी बेड हेतु केचुओं के वितरण का प्राविधान न किये जाने के कारण एवं इतर न्याय पंचायतें होने से इन न्याय पंचायतों पर वर्मी बेड की आपूर्ति पर किया गया व्यय रु 14.58 लाख से योजना का उद्देश्य, परंपरागत कृषि मे संलिप्तता, पूर्ण नहीं हो सका एवं लाभार्थियों को पूर्ण लाभ नहीं मिल सका।

अतः जिला योजना के अंतर्गत पाँच न्याय पंचायतों में वर्मी बेड की आपूर्ति पर रु 14.58 लाख के किये गये व्यय के अलाभकारी रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-2 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:04-</u> कार्मिकों को मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के रूप में रु. 653024.00 का अधिक भुगतान किया जाना।

सातवें वेतन आयोग के तहत उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के पत्रांक:290/XXVII(7)50(16/2016 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 द्वारा उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के अनुसार 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर संबन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया है, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, चकराता स्थित कालसी, देहरादून में कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं सेवा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई में कार्यरत निम्न कार्मिक वर्ष 2017 में सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-3 वेतनलेवल 04 (ग्रेड वेतन 2400/-) में नियुक्त हुए थे-

1. श्रीमती पूनम खरबन्दा, योगदान तिथि- 09.08.2017
2. श्री सरून हसन, योगदान तिथि- 01.08.2017
3. श्री रणवीर सिंह, योगदान तिथि- 04.08.2017
4. कु. सोनिया चौहान, योगदान तिथि- 17.08.2017
5. श्रीमती सुप्रिया चौहान, योगदान तिथि- 05.09.2017
6. कु. प्रियंका थपलियाल, योगदान तिथि- 23.08.2017

आगे जांच में पाया गया कि उक्त कार्मिकों की नियुक्ति तिथि को पद के वेतनलेवल के प्रथम कोष्ठिका में रु. 25500.00 के सापेक्ष चतुर्थ कोष्ठिका में रु. 27900.00 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित करते हुए संलग्न सूची **(संलग्नक 01 से 06 तक)** के अनुसार मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते के रूप में कुल रु. 653024.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

इसके अतिरिक्त श्री सरून हसन का माह 09/2018, श्री रणवीर सिंह का माह 09/2018, श्रीमती सुप्रिया चौहान का माह 11/2017 व 09/2018, कु. प्रियंका थपलियाल का माह 09/2018 व कु. सोनिया चौहान का माह 09/2018 का तथा नियुक्ति तिथि के माह के वेतन का भुगतान हुआ है अथवा नहीं से संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए जिससे लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्मिकों को संदर्भित माहों के वेतन का भुगतान हुआ अथवा नहीं।

इस ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया गया कि संदर्भित कार्मिकों के वेतन निर्धारण की विभागीय स्तर पर पुनः जांच कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः कार्मिकों के वेतन एवं मंहगाई भत्ते के रूप में रु. 653024.00 का अधिक भुगतान किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-132/2020-21

संलग्नक-1

Ms Poonam Kharbanda

Month	Basic Pay Due	Basic Pay Drawn	Diff.	DA Due	DA Drawn	DA Arr.Drawn	Diff.	Total
1	2	3	4(2-3)	5	6	7	8(5-6-7)	9(4+8)
Sep-17	25500	27900	-2400	1275	1116	0	159	-2241
Oct-17	25500	27900	-2400	1275	1395	279	-399	-2799
Nov-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Dec-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Jan-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Feb-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Mar-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Apr-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
May-18	25500	27900	-2400	1785	1953	2232	-2400	-4800
Jun-18	25500	27900	-2400	1785	1953	0	-168	-2568
Jul-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Aug-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Sep-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Oct-18	26300	28700	-2400	2367	2583	1722	-1938	-4338
Nov-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Dec-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Jan-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Feb-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Mar-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Apr-19	26300	28700	-2400	3156	3444	2583	-2871	-5271
May-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jun-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jul-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Aug-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Sep-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Oct-19	27100	29600	-2500	4607	5032	4440	-4865	-7365
Nov-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Dec-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jan-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Feb-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Mar-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Apr-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
May-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jun-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jul-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Aug-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Sep-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Oct-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Nov-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Dec-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042

Total	**1063200**	**1161600**	**-98400**	**132690**	**133698**	**11256**	**-12264**	**-110664**

संलग्नक-II

Mr. Sharoon Hasan

Month	Basic Pay Due	Basic Pay Drawn	Diff.	DA Due	DA Drawn	DA Arr.Drawn	Diff.	Total
1	2	3	4(2-3)	5	6	7	8(5-6-7)	9(4+8)
Sep-17	25500	27900	-2400	1275	1116	0	159	-2241
Oct-17	25500	27900	-2400	1275	1395	279	-399	-2799
Nov-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Dec-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Jan-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Feb-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Mar-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Apr-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
May-18	25500	27900	-2400	1785	1953	2232	-2400	-4800
Jun-18	25500	27900	-2400	1785	1953	0	-168	-2568
Jul-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Aug-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Sep-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct-18	26300	28700	-2400	2367	2583	1722	-1938	-4338
Nov-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Dec-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Jan-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Feb-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Mar-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Apr-19	26300	28700	-2400	3156	3444	2583	-2871	-5271
May-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jun-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jul-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Aug-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Sep-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Oct-19	27100	29600	-2500	4607	5032	2960	-3385	-5885
Nov-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Dec-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jan-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Feb-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Mar-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Apr-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
May-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jun-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jul-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Aug-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Sep-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Oct-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042

Nov-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Dec-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Total	**1036900**	**1132900**	**-96000**	**130323**	**133169**	**9776**	**-12622**	**-108622**

संलग्नक-III

Mr. Ranveer Singh

Month	Basic Pay Due	Basic Pay Drawn	Diff.	DA Due	DA Drawn	DA Arr.Drawn	Diff.	Total
1	2	3	4(2-3)	5	6	7	8(5-6-7)	9(4+8)
Sep-17	25500	27900	-2400	1275	1116	0	159	-2241
Oct-17	25500	27900	-2400	1275	1395	279	-399	-2799
Nov-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Dec-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Jan-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Feb-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Mar-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Apr-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
May-18	25500	27900	-2400	1785	1953	2232	-2400	-4800
Jun-18	25500	27900	-2400	1785	1953	0	-168	-2568
Jul-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Aug-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Sep-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct-18	26300	28700	-2400	2367	2583	1722	-1938	-4338
Nov-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Dec-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Jan-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Feb-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Mar-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Apr-19	26300	28700	-2400	3156	3444	2583	-2871	-5271
May-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jun-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jul-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Aug-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Sep-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Oct-19	27100	29600	-2500	4607	5032	2960	-3385	-5885
Nov-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Dec-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jan-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Feb-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Mar-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Apr-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
May-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jun-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jul-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Aug-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042

Sep-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Oct-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Nov-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Dec-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Total	**1036900**	**1132900**	**-96000**	**130323**	**133169**	**9776**	**-12622**	**-108622**

संलग्नक-IV

Ms. Supriya Chauhan

Month	Basic Pay Due	Basic Pay Drawn	Diff.	DA Due	DA Drawn	DA Arr.Drawn	Diff.	Total
1	2	3	4(2-3)	5	6	7	8(5-6-7)	9(4+8)
Sep-17	22100	24180	-2080	1105	967	0	138	-1942
Oct-17	25500	27900	-2400	1275	1395	242	-362	-2762
Nov-17	0	0	0	0	0	0	0	0
Dec-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Jan-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Feb-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Mar-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Apr-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
May-18	25500	27900	-2400	1785	1953	2232	-2400	-4800
Jun-18	25500	27900	-2400	1785	1953	0	-168	-2568
Jul-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Aug-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Sep-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct-18	26300	28700	-2400	2367	2583	1722	-1938	-4338
Nov-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Dec-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Jan-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Feb-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Mar-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Apr-19	26300	28700	-2400	3156	3444	2583	-2871	-5271
May-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jun-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jul-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Aug-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Sep-19	27100	30500	-3400	4607	5185	0	-578	-3978
Oct-19	27100	30500	-3400	4607	5185	2960	-3538	-6938
Nov-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Dec-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jan-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Feb-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Mar-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Apr-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
May-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jun-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925

Jul-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Aug-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Sep-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Oct-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Nov-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Dec-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Total	**1008000**	**1103080**	**-95080**	**128878**	**131931**	**9739**	**-12792**	**-107872**

संलग्नक-V

Ms. Priyanka Thapliyal

Month	Basic Pay Due	Basic Pay Drawn	Diff.	DA Due	DA Drawn	DA Arr.Drawn	Diff.	Total
1	2	3	4(2-3)	5	6	7	8(5-6-7)	9(4+8)
Sep-17	25500	27900	-2400	1275	1116	0	159	-2241
Oct-17	25500	27900	-2400	1275	1395	279	-399	-2799
Nov-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Dec-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Jan-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Feb-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Mar-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Apr-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
May-18	25500	27900	-2400	1785	1953	2232	-2400	-4800
Jun-18	25500	27900	-2400	1785	1953	0	-168	-2568
Jul-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Aug-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Sep-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct-18	26300	28700	-2400	2367	2583	1722	-1938	-4338
Nov-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Dec-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Jan-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Feb-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Mar-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Apr-19	26300	28700	-2400	3156	3444	2583	-2871	-5271
May-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jun-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jul-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Aug-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Sep-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Oct-19	27100	29600	-2500	4607	5032	4440	-4865	-7365
Nov-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Dec-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jan-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Feb-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Mar-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Apr-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
May-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925

Jun-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jul-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Aug-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Sep-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Oct-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Nov-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Dec-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Total	**1036900**	**1132900**	**-96000**	**130323**	**131689**	**11256**	**-12622**	**-108622**

संलग्नक-VI

Ms. Soniya Chauhan

Month	Basic Pay Due	Basic Pay Drawn	Diff.	DA Due	DA Drawn	DA Arr.Drawn	Diff.	Total
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 (4+8)**
Sep-17	25500	27900	-2400	1275	1116	0	159	-2241
Oct-17	25500	27900	-2400	1275	1395	279	-399	-2799
Nov-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Dec-17	25500	27900	-2400	1275	1395	0	-120	-2520
Jan-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Feb-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Mar-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
Apr-18	25500	27900	-2400	1785	1395	0	390	-2010
May-18	25500	27900	-2400	1785	1953	2232	-2400	-4800
Jun-18	25500	27900	-2400	1785	1953	0	-168	-2568
Jul-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Aug-18	26300	28700	-2400	2367	2009	0	358	-2042
Sep-18	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct-18	26300	28700	-2400	2367	2583	1722	-1938	-4338
Nov-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Dec-18	26300	28700	-2400	2367	2583	0	-216	-2616
Jan-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Feb-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Mar-19	26300	28700	-2400	3156	2583	0	573	-1827
Apr-19	26300	28700	-2400	3156	3444	2583	-2871	-5271
May-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jun-19	26300	28700	-2400	3156	3444	0	-288	-2688
Jul-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Aug-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Sep-19	27100	29600	-2500	4607	3552	0	1055	-1445
Oct-19	27100	29600	-2500	4607	5032	4440	-4865	-7365
Nov-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Dec-19	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jan-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Feb-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Mar-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Apr-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
May-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925

Jun-20	27100	29600	-2500	4607	5032	0	-425	-2925
Jul-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Aug-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Sep-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Oct-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Nov-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Dec-20	27900	30500	-2600	4743	5185	0	-442	-3042
Total	**1036900**	**1132900**	**-96000**	**130323**	**131689**	**11256**	**-12622**	**-108622**

<u>भाग दो "ब"</u>

<u>प्रस्तर:05-</u> ठेकेदारों कोरू 1.32 लाख की न्यास निधि एवं ₹ 59514.00 कालेबर सेस का अदेय लाभ प्रदान किया जाना।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के संख्या 1763/VII-1/2017/8ख/16 देहारादून के दिनांक 17/12/2017 के अनुसार उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली-2017 बनायी गयी जो सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होती है। उक्त नियमावली के बिन्दु संख्या 10 के उपसंख्या-02 के अनुसार:-

1- समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 25 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।

2- सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमाकिए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाएगा।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कालसी की रायल्टी संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा रायल्टी तो काटी जा रही थी लेकिन न्यास निधि नही काटी जा रही थी। जो कि 2017-18 से 2020-21 तक कुल काटी गयी रायल्टी ₹ 528518 का 25 प्रतिशत ₹ 132129.5 के बिलों से काटी जानी चाहिए थी (विवरण संलग्न)। साथ ही ₹ 52662.28 का लेबर सेस भी नही काटा गया था जो लेबर सेस के शासनादेश का उल्लंघन था।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर के दैवीय आपदा संबन्धित कराये गए निर्माण कार्यों जैसे स्पर का निर्माण, प्रोटेक्शन वाल का निर्माण इत्यादि से संबन्धित कुछ निर्माण में लेबर सेस की भी कटौती नही की गयी थी जिसकी धनराशि ₹ 16852.35 थी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि शासनादेश का संज्ञान न होने के कारण उक्त कटौतियाँ नही की गयी।

₹ 117121 की धनराशि लाभार्थियों के खातों में प्रेषितन किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> समुचित कृषि संसाधन न प्रदान किए जाने के कारण विगत तीन वर्षों में ₹ 5.92 लाख के राजस्व का नुकसान एवं निष्प्रयोज्य यंत्रों की नीलामी न किया जाना।

राजकीय जैविक कृषि बीज संवर्धन प्रक्षेत्र, ढकरानी, जनपद से 40 किमी की दूरी पर देहरादून पांवटा रोड पर हरबर्टपुर से 04 किमी0 ढकरानी ग्राम पंचायत में स्थित है। उक्त प्रक्षेत्रों पर सम्पूर्ण उत्तराखंड के जनपदों हेतु प्रमाणित/ आधारीय बीजों का उत्पादन होता है। यह 14.25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर उत्पादित बीज उच्च गुणवत्ता युक्त तथा पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु के अनुकूल होते हैं। बीज उत्पादन के अतिरिक्त यहाँ पर वर्मिकल्चर सेंटर तथा ड्राई डेयरी की स्थापना भी विभाग द्वारा की गयी है ड्राई डेयरी की स्थापना यहाँ पर वर्ष 2012 में की गयी है। इस ड्राई डेयरी में पशुपालन विभाग, देहरादून के पशु प्रजनन केंद्र कालसी से अनुत्पाद्क गोवंशीय पशुओं को भरण-पोषण हेतु छोड़ दिया जाता है। इन पशुओं से प्राप्त गोबर तथा गोमूत्र का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट तथा वर्मिपाश बनाने के साथ-साथ यहाँ केंचुआ का उत्पादन भी किया जाता है। प्रक्षेत्र अधीक्षक राजकीय जैविक कृषि बीज संवर्धन द्वारा समय-समय पर प्रक्षेत्र हेतु कार्य योजना तैयार कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून को प्रेषित की जाती रही है मुख्य समास्याएँ निम्न थी:-

1- क्षेत्र की मिट्टी बलुई दोमट है जिसमे सिचाई की अधिक आवश्यकता होती है सिचाई की पर्याप्त व्यवस्था ने होने से अपेक्षित उत्पादन नही हो पा रहा था।

2- प्रक्षेत्रों में काफी संख्या में बड़े पत्थर तथा ढाल है तो समतलीयकरण हेतु कृषि सयंत्रों की आवश्यकता थी।

3- प्रक्षेत्र में उपलब्ध अधिकतर कृषि यंत्र अयोग्य तथा जीर्ण क्षिर्ण अवस्था में हैं जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा था।

4- साथ ही विगत तीन वर्षों के उत्पादन जिसमे सिचाई की अधिक आवश्यकता होती है(खरीफ) जो औषत उत्पादन से बहुत कम थी (संलग्नक-1)।

आकड़ों से स्पष्ट था की उक्त प्रक्षेत्र का औषत उत्पादन कम रहा जिससे राजस्व की क्षति हो रही थी।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त प्रक्षेत्र में कई यंत्र/भवन भी कार्य योग्य ही नही थे बावजूद उसके उक्त यंत्रों की नीलामी नही की गयी थी (संलग्नक-2)

जबकि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में भंडार का सत्यापन किया जाना चाहिए और जो मद निष्प्रयोज्य हो उनकी यथाशीघ्र नीलामी किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत जैविक फार्म अधीक्षक की मांग के अनुसार बजट की मांग की जा चुकी है। निष्प्रयोज्य सामग्रियों के संबंध में अवगत कराया गया कि यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योकि यदि इकाई द्वारा समुचित कृषि संसाधन प्रदान किया जाता तो **₹ 5.92 लाख की** राजस्व हानि से बचा जा सकता था। साथ ही यदि निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी की जाती तो राजस्व प्राप्ति भी होती।

अतः समुचित कृषि संसाधन न प्रदान किए जाने के कारण विगत तीन वर्षों में ₹ 5.92 लाख के राजस्व का नुकसान एवं निष्प्रयोज्य यंत्रों की नीलामी न किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-132/2020-21

(संलग्नक-1)

वर्ष	पर्वतीय फसल प्रजाति का नाम	बोया गया क्षेत्रफल	विधायन के उपरांत शुद्ध बीज कुंतल में	औषत कुंतल में	जनपद देहरादून में खरीफ के आकडे औषत कुंतल में	औषत कमी कुंतल में	राजस्व की हानि(₹) दरxऔषत कमी= राजस्व हानि
2017 (खरीफ)	काला भट्ट (सोयाबीन)	4.00	2.25	0.56	8.65	8.09	10620x8.09=85915.8
	मँडुआ	5.40	4.84	0.90	14.95	14.05	5125x14.05=72006.25
	झंगोरा/सांवा	1.00	2.16	2.16	14.42	12.26	4550x12.26=55783.00
	धान	3.00	25.92	8.64	19.67	11.03	3350x11.03=36950.05
2018 (खरीफ)	धान	5.00	43.56	8.71	19.67	10.96	4125x10.96=45210
	मक्का	3.50	14.70	4.20	21.260	17.06	3710x17.06=63292.6
	अरहर	4.50	3.84	0.85	7.30	6.45	10255x6.45=66144.75
2019 (खरीफ)	धान	5.125	46.80	9.13	19.67	10.54	4285x10.54=45163.9
	सोयाबीन	6.39	22.95	3.59	8.65	5.06	5.06x7900=39974.00
	मँडुआ	2.00	4.60	2.3	14.95	12.65	6465x12.65=81782.25
योग							**592222.6**

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-132/2020-21

(संलग्नक-2)

क्रम संख्या	**यंत्र का नाम**	**संख्या**	**अभियुक्ति**
1.	हैरो 8x8	02	अयोग्य
2.	टैलर 11 टाइन	01	अयोग्य
3.	गेंहू थ्रेशर	02	अयोग्य
4.	मक्का थ्रेशर	01	अयोग्य
5.	लेबलर	01	अयोग्य
6.	डोलर	01	अयोग्य
7.	पाटा	01	अयोग्य
8.	चारा मशीन	01	अयोग्य
9.	कृषक पाठशाला	01	अयोग्य
10.	प्रक्षेत्र कार्यालय	01	अयोग्य
11.	गेस्ट हाउस	01	अयोग्य

STAN

प्रस्तर:02- ₹ 154756.00 की धनराशि का अनियमित भुगतान।

जनपद देहरादून के बफर गोदाम, ढकरानी एवं विकासखंडों पर स्थित बीज भंडारों डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, विकासनगर, कालसी एवं चकराता तथा विकासखंड स्तरीय बीज भंडारों से न्यायपंचायत स्तरीय कृषि निवेश केन्द्रों तक पंतनगर हल्दी एवं अन्य जनपदों से कृषि बीज, कृषि रक्षा रसायन, अन्य कर्षित निवेश/ यंत्र निर्माण सामग्री (सीमेंट, तार) आदि के ढुलान कार्य हेतु वर्ष 2019-20 के लिए ठेकेदारों के चयन हेतु इकाई द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी। ठेकेदारों को निविदा के साथ धरोहर राशि(₹ 20000.00), ट्रक का स्वामित्व प्रमाण पत्र, आरटीओ कार्यालय में स्वयं के ट्रक का पंजीयन, स्वयं के ट्रक का इंश्योरेंश, हैसियत प्रमाण पत्र (पचास लाख मात्र), नोटरी एफ़िडेविड सरकार के किसी विभाग में ढुलान से संबन्धित विवाद न होने से संबधित प्रमाण पत्र। उक्त हेतु तीन निविदाएँ प्राप्त हुई, बोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड फोर्वर्डिंग एजेंसी, आरएस बोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी, एमएस ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड फोर्वर्डिंग एजेंसी। जिसमे बोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड फोर्वर्डिंग एजेंसी की निविदा न्यून पाये जाने के कारण एमएस बोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड फोर्वर्डिंग एजेंसी की निविदा स्वीकृत की गयी। दिनांक 08.07.2019 को मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून के साथ समझौता ज्ञापन किया गया जिसके अनुसार ट्रांसपोर्टर को ₹ 25000.00 का एफ़डीआर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का जमा कराना था जो निविदा समाप्ती के एक वर्ष के उपरांत वापस की जानी थी।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी उक्त ढुलान संबन्धित किए गए निविदा संबन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि परिवहन विभाग द्वारा नैनीताल द्वारा मैसर्स बोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड फोर्वर्डिंग एजेंसी हल्द्वानी नैनीताल को भाड़े पर चलाये जाने हेतु अभिग्रहीत किया गया था जिसकी अवधि 12.02.2015 से 11.02.2020 थी जिसको ठेकेदार द्वारा नवीनीकरण नही किया गया था। साथ ही उक्त ठेकेदार द्वारा जमा की गयी एफ़डीआर जो ₹ 45,000 की जमा की गयी थी वो भी मात्र 19.04.2020 तक ही वैध थी जो द नैनीताल बैंक लिमिटेड के पक्ष में थी जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक नही था। आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त ट्रांसपोर्टर से केवल 2019-20 हेतु अनुबंधित किया गया था जबकि लेखापरीक्षा तिथि तक (01/2021) उक्त ट्रांसपोर्टर द्वारा ही ढुलान कार्य किया जा रहा था। जबकि परिवहन विभाग द्वारा 02/2020 तक ही अनुग्रहित किया गया था। एफ़डीआर की वैधता भी समाप्त हो चुकी थी। अतः इकाई द्वारा ठेकेदार को दिनांक

20.08.2020 के ढुलान के सापेक्ष किया गया ₹ 154756.00 की धनराशि का भुगतान अनियमित था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स बोरा ट्रांसपोर्ट को उक्त के संबंध में अवगत करा दिया गया है संबन्धित फार्म द्वारा यथा शीघ्र राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ़डीआर उपलब्ध करा दी जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि उक्त मेसर्स को परिवहन विभाग द्वारा मात्र 11.02.2020 तक भाड़े पर चलाये जाने हेतु अभिग्रहीत किया गया था तथा एफ़डीआर की वैधता भी समाप्त हो गयी थी।

अतः मैसर्स बोरा ट्रांसपोर्ट कंपनी एंड फोर्वर्डिंग एजेंसी हल्द्वानी नैनीताल को ₹ 154756.00 की धनराशि का अनियमित भुगतान किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:03-</u> ₹ 117121 की धनराशि लाभार्थियों के खातों में प्रेषितन किया जाना।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर के बैंक खातों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को डीबीटी/आरटीजीएस के माध्यम से अगस्त 2017 से दिसंबर 2020 के मध्य प्रेषित की गयी थी जिनमे से ₹ 117121 की धनराशि लाभार्थियों के खातों में प्रेषित की गयी थी जो विभिन्न चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से वापस आ गयी थी जिनको लेखा परीक्षा तिथि तक लाभार्थियों के खातों में पुनः प्रेषित नही किया जा सका था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि इकाई स्तर से लाभार्थियों को धनराशियाँ आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योकि लेखापरीक्षा तिथि तक लाभार्थियों को धनराशियाँ प्रेषित करें का कोई सकारात्मक प्रयास नही किया गया था।

₹ 117121 की धनराशि लाभार्थियों के खातों में प्रेषितन किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:04-</u> सपोर्ट एजेंसी पर एफ़डीआर की समाप्ति के पूर्व ही नयी एफ़डीआर जमा न किए जाने के बावजूद भी एजेंसी पर अर्थदण्ड न आरोपित किया जाना।

वर्ष 2018-19 से पीकेवीवाई योजना का 3900 नए समूहों/ क्लस्टरों में क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा नई गाइड लाइन के अनुसार किया जाना था। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सपोर्ट एजेंसी का चयन गाइड लाइन के माध्यम से किया जाना था। सपोर्ट एजेंसी के माध्यम से क्लस्टर का गठन, एक्सपोजर भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम लीड रेसौर्सफुल पर्सन का चयन किया जाना था।

पीकेवीवाई योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद देहरादून में मार्क एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सपोर्ट एजेंसी के रूप में चयन किया गया था। उक्त एजेंसी के साथ 27/05/2019 को समझौता ज्ञापन(एमओयू) हस्तानरित किया गया।एमओयू की शर्त संख्या 15 के अनुसार सपोर्ट एजेंसी योजना में शामिल धनराशि का 5% किसी नेशनल बैंक की बैंक गारंटी धरोहर के रूप में जमा करेगा। जमा की गयी बैंक गारंटी प्रारम्भ में एक साल के लिए मान्य होगी लेकिन प्रत्येक वर्ष उसे पुनर्वैध किया जाएगा। अगर सपोर्ट एजेंसी ऐसा करने में सक्षम नही होती है तो वैधता समाप्ती के एक माह उपरांत से ₹1.00 लाख प्रत्येक महीने की अनुसार अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी।

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून की पीकेवीवाई योजना संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त सपोर्ट एजेंसी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत की गयी थी जो की एक राष्ट्रीयकृत बैंक नही है साथ ही उसकी बैंक गारंटी भी दिनांक 13.11.2020 को समाप्त हो चुकी थी लेकिन सपोर्ट एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी को लेखा परीक्षा तिथि (01/2021)तक पुनर्वैध नही कराया गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित सपोर्ट एजेंसी से संपर्क करते हुए पुरानी वाली बैंक गारंटी को अवगत करा दिया गया है कि अब बैंक गारंटी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की ही उपलब्ध कराएं। इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योकि एफ़डीआर की समाप्ती के पूर्व ही नवीनीकृत किया जाना चाहिए था।

अतः सपोर्ट एजेंसी पर एफ़डीआर की समाप्ती के पूर्व ही नयी एफ़डीआर जमा न किए जाने के बावजूद भी एजेंसी पर अर्थदण्ड न आरोपित किए जाने का मामला उच्चाधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

प्रतिवेदन संख्या	**अनिस्तारित प्रस्तर**		
	भाग-2अ	**भाग-2ब**	**STAN**
123/398	-	02	
123/106	-	1	1
04/359	3	8	01
07/103	-	1	
38/2017-18	-	01**,02**	01**,02**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	विभागीय उत्तर में बताया गया कि उक्त प्रस्तरों की यथाशीघ्र आख्या तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रषितकी जायेगी अत: उक्त सभी प्रस्तर यथावत रखने हेतु, प्रस्तावित है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:-

-----शून्य----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून, उत्तराखण्ड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   1) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री विजय देवराड़ी तक	मुख्य कृषि अधिकारी	18/12/2016 से अब

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून, उत्तराखण्ड,** को इस आशय से प्रेषितहै कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार ए.एम.जी-1 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी-1